

कार्यालय कलेक्टर जिला जशपुर एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन

-: अधिसूचना :-

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2014-15 जशपुर

दिनांक 11 /12/2017

चूँकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि का अनुसूची के पद 2 में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा)की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

-: अनुसूची :-

- | | | | |
|---|-------------------|----|-----------|
| 1 | भूमि का वर्णन :- | | |
| 1 | जिला | :- | जशपुर |
| 2 | तहसील | :- | पत्थलगाँव |
| 3 | ग्राम/नगर | :- | जामझोर |
| 4 | भूमि का क्षेत्रफल | :- | 1.407 हे0 |

खसरा क्र0/रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
503/4क	0.085	504/2क	0.085	503/5ग	0.073	503/5घ	0.222	661/1	0.186
633	0.036	635	0.008	503/8	0.040	621	0.061	622	0.053
624	0.028	625/1	0.210	503/9	0.138	504/1क	0.085	637/1क/5	0.028
638/1ग	0.012	637/3	0.049	637/1क	0.008				
योग :- कुल खसरा नं0 18 रकबा 1.407 हे0									

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है :- गेरानाला जलाशय योजना की बाँयी तट टेल शाखा नहर क्र. 06 का भू-अर्जन प्रकरण।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा0) पत्थलगाँव के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त योजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित..... व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामतहसीलजिला की भूमि खसरा नं.रकबाहे0 का चयन किया गया है। पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासक/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में किया जा सकता है।

भू-अर्जन अधिकारी
पत्थलगाँव
जिला-जशपुर(छ.ग.)



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(डॉ. प्रियंका शुक्ला)

कलेक्टर जशपुर एवं पदेन उप सचिव
छ0ग0 शासन राजस्व विभाग